न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2160–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–5–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल, प्रकरण कमांक 583/अपील/2011–12.

.....

दलीप सिंह आ0श्री खेमचन्द
निवासी ग्राम निम्नापुर तहसील सिलवानी,
जिला रायसेन म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–मोहनसिंह आ0श्री अजुद्धी कुर्मी
2–इमरतीबाई पत्नि श्री अजुद्धी कुर्मी
निवासी ग्राम निम्नापुर तहसील सिलवानी,
जिला रायसेन म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 11/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–5–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार तहसील बम्होरी जिला रायसेन के समक्ष संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत ग्राम निम्नापुर

स्थित भूमि कुल किता 13 कुल रकबा 11.66 एकड़ में हुई अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा उक्त आवेदन पत्र अवधि बाह्य प्रस्तुत होने के आधार पर निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 20–5–2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत् रखा जाकर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 115 के अन्तर्गत तहसीलदार को स्वमेव अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है और संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत पक्षकार द्वारा एक वर्ष के अन्दर आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार को अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध करने का अधिकार प्राप्त है, परन्तु अनावेदकगण द्वारा अनेक वर्ष पश्चात् संहिता की धारा 115 एवं 116 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है, लेकिन तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि आवेदक मॉ की मृत्यु के बाद प्रश्नाधीन भूमि पर फौती नामान्तरण हुआ है और उस आदेश को आज तक चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वह अंतिम हो गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की मॉ एवं अजुद्धी आपस में भाई बहन थे और अजुद्धी द्वारा 3 एकड़ भूमि आवेदक की मॉ को दी गई थी और राजस्व अभिलेखों में भी उसकी मॉ का नाम दर्ज हो गया था । उक्त आदेश को भी आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वह अंतिम हो गया है, ऐसी स्थिति में अनावेदकगण को तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं

था । इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । उनके द्वारा अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के पूर्व से सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत अवैध प्रविष्टि को शुद्ध करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि पटटे पर प्राप्त भूमि पर पटटेदार की मृत्यु की स्थिति में उसके पुत्र को भूमि प्राप्त होगी, भाई–बहिन को नहीं । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया है, जो कि पूर्णत वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–5–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर